रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 284] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 1998/श्रावण 13, 1920
No. 284] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 1998/SHRAVANA 13, 1920

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1998

सा.का.नि. 471 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1998 है।

2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम 01 जनवरी, 1996 को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"3. **वेतन**—अध्यक्ष छब्बीस हजार रुपये प्रतिमास के वेतन और एक हजार रुपये प्रतिमास के विशेष भत्ते का हकदार होगा, उपाध्यक्ष छब्बीस हजार रुपये प्रतिमास के वेतन का हकदार होगा तथा सदस्य 22400-600-26000 रुपये प्रतिमास के वेतमामान में वेतन का हकदार होगा :

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के मामले में, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा-निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य-सरकार के अधीन सेवा से सेवा-निवृत्त हुआ है या जो पेंशन या उपदान या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार है [illegible] पेंशन या उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे, यदि कोई हों, की सकल रकम कम कर दी जाएगी, किन्तु इसमें से उसके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने वाले सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन कम नहीं की जाएगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 01 जनवरी, 1996 को प्रतिस्थापित किया गया समझा, अर्थात् :—

"4. **महंगाई-भत्ता**—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप, ऐसी दरों पर महंगाई भत्ते के हकदार होंगे जो 22400-600-26000 रुपये या उसके ऊपर के वेतनामान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"

4. उक्त नियमों में नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 01 अगस्त, 1997 को अन्त:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"4क. **नगर प्रतिपूर्ति भत्ता**—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप ऐसी दरों पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के हकदार होंगे जो 22400-600-26000 रुपये या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं।"

5. उक्त नियमों के नियम 6 के उप नियम (3) में, "240" अंकों के स्थान पर "300" अंक 01 जुलाई, 1997 को प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 अक्तूबर, 1997 को प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :-

"11. छुट्टी-यात्रा-रियायत - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य, उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शर्तों पर जो 224000-600-26000 रुपये या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों के संबंध में लागू हैं, छुट्टी-यात्रा-रियायत का हकदार होगा।"

स्पष्टीकारक टिप्पण :—

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनामान, छुट्टी छुट्टी-यात्रा-रियायत तथा उन्हें अनुज्ञेय अन्य भत्तों के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशें लागू करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने भिन्न-भिन्न भूतलक्षी प्रभावी तारीखों से निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को अनुज्ञेय वेतन और अन्य भत्ते आदि के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शर्तों पर वेतन और भत्ते का पुनरीक्षण अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में अनुज्ञेय है। अतः नियमों में संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से किया जाना अपेक्षित है। नियमों के उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[ए-11014/7/98-प्र०अ०]

आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1253 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :—

(1) सा.का.नि. 16 (अ) दिनांक 10-01-1989

(2) सा.का.नि. 1048 (अ) दिनांक 13-12-1989

(3) सा.का.नि. 743 (अ) दिनांक 7-10-1994

(4) सा.का.नि. 699 (अ) दिनांक 26-10-1995

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 1998

G. S. R. 471 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely:—

1. These rules may be called the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1998.

2. In the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 (herein after referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be deemed to have been substituted on the 1st day of January, 1996, namely:—

"**3. Pay.**—The Chairman shall be entitled to a pay of twenty six thousand rupees plus a special allowance of one thousand rupees per mensem, a Vice-Chairman shall be entitled to a pay of twenty six thousand rupees per mensem and a Member shall be entitled to a pay in the scale of pay of Rs. 22,400-600-26,000 per mensem :

Provided that in the case of appointment as a Chairman, a Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of High Court or who has retired from service under the Central Govermment or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension or gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pension equivalent to gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any but excluding pension equivalent to retirement gratuity, drawn or to be drawn by him".

3. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 1996, namely:—

"**4. Dearness allowance.**—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above."

4. In the said rules, after rule 4, the following rule shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of August, 1997, namely:—

"**4A. City compensatory allowance.**—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to City compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above".

5. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (3), for the figures "240", the figures "300" shall be deemed to have been substituted with effect frim the 1st day of July, 1997.

6. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be deemed to have been substituted on the 1st day of October, 1997, namely:—

"**11. Leave Travel Concession.**—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above."

Explanatory note.—With a view to implement the recommendations of the Fifth Central Pay Commission

regarding Central Government employees the scales of pay, leave, leave travel concession and other allowances admissible to them, the Central Government took decisions for different retrospective effective dates. In respect of pay and other allowances etc. admissible to the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal, Central Government decided to allow the revision of pay and allowances at the same rates, at the same scales and on the same conditions as are admissible to the Central Government employees. Therefore, the amendments in the rules are to be given a retrospective effect. By giving this retrospective effect to the provisions of the rules, no Chairman, Vice-Chairman or a Member is likely to be affected adversely.

[A-11014/7/98-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secy.

Foot note.—The principal rules were published vide notification No. G.S. R. 1253 (E), dated the 5th December, 1986 and subsequently amended vide notification No.:

(1) G.S.R. 16(E), dated 10-1-1989.

(2) G.S.R. 1048(E), dated 13-12-1989.

(3) G.S.R. 743(E), dated 7-10-1994.

(4) G.S.R. 699(E), dated 26-10-1995.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1998

सा.का. नि. 472 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश, प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1998 है।

2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम 01, जनवरी, 1996 को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"3. वेतन - अध्यक्ष छब्बीस हजार रुपये प्रतिमास के वेतन और एक हजार रुपये प्रतिमास के विशेष भत्ते का हकदार होंगे, उपाध्यक्ष छब्बीस हजार रुपये प्रतिमास के वेतन का हकदार होंगे तथा सदस्य 22400-600-26000 रुपये के वेतनमान में प्रतिमास वेतन के हकदार होंगे:

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के मामले में, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य-सरकार के अधीन सेवा से सेवा-निवृत्त हुआ है या जो पेंशन या उपदान या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो उसके वेतन से उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे, यदि कोई हों की कुल रकम कम कर दी जाएगी, परन्तु इसमें से उसके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने वाले सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन कम नहीं की जाएगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 जनवरी, 1996 को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"4. महंगाई-भत्ता - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप, ऐसी दरों पर महंगाई भत्ते के हकदार होंगे जो 22400-600-26000 रुपये या उसके ऊपर के वेतन मान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"

4. उक्त नियमों में नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 अगस्त, 1997 को अन्त: स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"4क. नगर प्रतिपूर्ति भत्ता - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप ऐसी दरों पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के हकदार होंगे जो 22400-600-26000 रुपसे या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं।"

5. उक्त नियमों के नियम 6 के उप नियम (3) में, "240" अंकों के स्थान पर "300" अंक 01 जुलाई, 1997 को प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 अक्तूबर, 1997 को प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:-

"11. **छुट्टी-यात्रा-रियायत**—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापमानों और इन्हीं शर्तों पर जो 22400-600-26000 रुपये या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों के संबंध में लागू हैं, छुट्टी-यात्रा-रियायत का हकदार होगा।"

स्पष्टीकारक टिप्पण:-

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, छुट्टी, छुट्टी-यात्रा-रियायत तथा उन्हें अनुज्ञेय अन्य भत्तों के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशें लागू करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने भिन्न-भिन्न भूतलक्षी प्रभावी तारीखों से निर्णय लिए हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को अनुज्ञेय वेतन और अन्य भत्ते आदि के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शर्तों पर वेतन और भत्ते का पुनरीक्षण अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में अनुज्ञेय है। अत: नियमों में संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से किया जाना अपेक्षित है। नियमों के उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[क-11014/14/98-प्र०अ०]

आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः-मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1015 (ई), तारीख 22 अगस्त, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:-

(1) सा.का.नि. 425 (ई) दिनांक 4-4-1988

(2) सा.का.नि. 1046 (ई) दिनांक 13-12-1989

(3) सा.का.नि. 729 (ई) दिनांक 19-08-1992

(4) सा.का.नि. 45 (ई.) दिनांक 31-1-1994

(5) सा.का.नि. 343 (ई) दिनांक 25-06-1997

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 1998

G.S. R. 472 (E).—In exercise of the powers conferred by sections 35 and 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government herby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1998.

2. In the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be deemed to have been substituted on the 1st day of January, 1996, namely :—

"3. Pay.—The Chairman shall be entitled to a pay of twenty six thousand plus a special allowance of rupees one thousand per mensem, a Vice-Chairman shall be entitled to a pay of rupees twenty six thousand per mensem and a Member shall be entitled to a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 per mensem:

Provided that in the case of appointment as a Chairman, a Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of High Court or who has retired from sercice under the Central Governmment or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension or gratuity of employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pension equivalent to gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any but excluding pension equivalent to retirement grartuity, drawn or to be drawn by him".

3. For rule 4 of the said rules, the following rule shall be deemed to have been substituted on the 1st day of January, 1996, namely :—

"4. Dearness allowance.—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to Dearness Allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above".

4. For rule 4A of the said rules, the following shall be deemed to have been substituted on the 1st day of August, 1997, namely :—

"4A. City compensatory allowance.—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to City compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above".

5. In sub-rule (3), of rule 6 of the said rules for the figures "240", the figures "300" shall be deemed to have been substituted the 1st day of July, 1997.

6. In rule 11, of the said rules, for the portion beginning with the words "applicable to" and ending with the words "or above.", the words, letters and figures "admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above.", shall be deemed to have been substituted on the 1st day of October, 1997.

Explanatory note.—With a view to implement the recommendations of the Fith Central Pay Commission regarding Central Government employees scales of pay, leave, leave travel concession and other allowances admissible to them, the Central Government took decisions for different retrospective effective dates. In respect of pay and other allowances etc. admissible to the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal, Central Government decided to allow the revision of pay and allowances at the same rates, at the same scales and on the same conditions as are admissible to the Central Government employees. Therefore, the amendments in the rules are to be given a retrospective effect. By giving this retrospective effict to the provisions of the rules, no Chairman, Vice-Chairman or a Member is likely to be affected adversely.

[A-11014/14/98-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secy.

Foot note.—The principal rules were published vide notification No. G.S. R. 1015 (E), dated the 22nd August, 1986 and subsequently amended vide notification No.:

(1) G.S.R. 425(E), dated 4-4-1988.

(2) G.S.R. 1046(E), dated 13-12-1989.

(3) G.S.R. 729(E), dated 19-8-1992.

(4) G.S.R. 45(E), dated 31-1-1994.

(5) G.S.R. 343 (E), dated 25-6-1997.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1998

सा.का. नि. 473 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) का धारा 35 और धारा 36क द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें)नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1998 है।

2. पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 (जिसे इसमें, इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम 01, जनवरी, 1996 को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"3. वेतन - अध्यक्ष छब्बीस हजार रुपये प्रतिमास के वेतन और एक हजार रुपये प्रतिमास के विशेष भत्ते के हकदार होगें, उपाध्यक्ष छब्बीस हजार रुपये प्रतिमास के वेतन के हकदार होगें तथा सदस्य 22400-600-26000 रुपये के वेतनमान के प्रतिमास वेतन का हकदार होगें:

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के मामले में, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य-सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या जो पेंशन या उपदान या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो उसके वेतन से उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे, यदि कोई हो की कुल रकम कम कर दी जाएगी, परन्तु इसमें से उसके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने वाले सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन कम नहीं की जाएगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 जनवरी, 1996 को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"4. महंगाई-भत्ता - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप, ऐसी दरों पर महंगाई भत्ते के हकदार होंगे जो 22400-600-26000 रुपये या उसके ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"

4. उक्त नियमों में नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 अगस्त, 1997 को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"5. नगर प्रतिपूर्ति भत्ता - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप ऐसी दरों पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के हकदार होंगे जो 22400-600-26000 रुपये या उसके ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं।"

5. उक्त नियमों के नियम 7 के उप नियम (3) में, "240" अंकों के स्थान पर "300" अंक 01 जुलाई, 1997 को प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 9 के उप नियम (2) में, "700 रुपये प्रतिवर्ष" अक्षरों, अंकों तथा शब्दों से शुरू होने वाले तथा "3500 रुपये प्रति वर्ष" अक्षरों, अंकों तथा शब्दों से समाप्त होने वाले अंश के स्थान पर "एक हजार चार सौ पचास रुपये प्रति वर्ष" शब्द, 21 दिसंबर, 1994 को प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

7. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 अक्तूबर, 1997 को प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:-

"11. छुट्टी-यात्रा-रियायत - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य, उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शर्तों पर जो 22400-600-26000 रुपये या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों के संबंध में लागू है, छुट्टी-यात्रा-रियायत का हकदार होगा।"

स्पष्टीकारक टिप्पण:-

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनामान, छुट्टी, छुट्टी-यात्रा-रियायत तथा उन्हें अनुज्ञेय अन्य भत्तों के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशें लागू करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने भिन्न-भिन्न भूतलक्षी प्रभावी तारीखों से निर्णय लिए हैं। पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को अनुज्ञेय वेतन और अन्य भत्ते आदि के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शर्तों पर वेतन और भत्ते का पुनरीक्षण अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में अनुज्ञेय हैं। अत: नियमों में संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से किया जाना अपेक्षित है। उपर्युक्त नियमों के उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से व्यक्ति किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[ए-11014/5/98-प्र०अ०]

आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:-मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 875 (ई), तारीख 21 दिसम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 1998

G.S.R. 473 (E).—In exercise of the powers conferred by sections 35 and 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1994, namely:-

1. These rules may be called the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1998.

2. In the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1994 (hereinafter

referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be deemed to have been substituted on the 1st day of January, 1996, namely:-

"3. Pay,—The Chairman shall be entitled to a pay of rupees twenty six thousand plus a special allowance of rupees one thousand per mensem, a Vice-Chairman shall be entitled to a pay of rupees twenty six thousand per mensem and a Member shall be entitled to a pay in the scale of pay of Rs. 22,400-600-26,000 per mensem:

Provided that in the case of appointment as a Chairman, a Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension or gratuity of employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pension equivalent to gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any but excluding pension equivalent to retirement gratuity, drawn or to be drawn by him."

3. for rule 4, the said rules, the following rule shall be deemed to have been substituted the 1st day of January, 1996, namely:-

"4. Dearness allowance.—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above."

4. For rule 5 of the said rules, the following rule shall be deemed to have been substituted on with effect from the 1st day of August, 1997, namely:-

"5. City compensatory allowance.—The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to City compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above."

5. In sub-rule (3) of rule 7 of the said rules, for the figures "240", the figures "300" shall be deemed to have been substituted the 1st day of July, 1997.

6. In sub-rule (2) of rule 9 of the said rules, for the portion beginning with the letters, figures and words "Rs. 700 per annum" and ending with the letters, figures and words "Rs. 3500 per annum", the words "rupees one thousand four hundred and fifty per annum" shall be deemed to have been substituted on the 21st day of December, 1994.

7. In rule 12 of the said rules, for the portion beginning with the words "applicable to" and ending with the words "or above.", the words, letters, and figures "admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above," shall be deemed to have been substituted on the 1st day of October, 1997.

Explanatory note.—With a view to implement the recommendations of the Fith Central Pay Commission regarding Central Government employees' the scale of pay, leave, leave travel concession and other allowances admissible to them, the Central Government took decisions for different retrospective effective dates. In respect of pay and other allowances etc. admissible to the Chairman, Vice-Chairman and Members of the West Bengal Administrative Tribunal, the Central Government decided to allow the revision of pay and allowances at the same rates, at the same scales and on the same conditions as are admissible to the Central Government employees. Therefore, the amendments in the rules are to be given a retrospective effect. By giving this retrosopective effect to the provisions of the rules, no person is likely to be affeted adversely.

[A-11014/5/98-AT]
R. K. TANDON, Jt. Secy.

Foot note.—*The principal rules were published vide notification No. G. S. R. 875 (E), dated the 21st December, 1994.*

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1998.